eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

घरेलू हिंसा और महिला मानवाधिकार : शिक्षा एक समाधान

[1]डॉ अंजू लता
[2]मनोज कुमार
[1]एसोसिएट प्रोफेसर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झाँसी
[2]शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र, शिक्षाशास्त्र विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय झाँसी उ0प्र0

Received: 31 August 2023, Accepted: 01 Sep 2023, Published with Peer Reviewed online: 03 Sep 2023

Abstract

मानवाधिकार मनुष्यों के लिए बनाए गए ऐसे सार्वभौमिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों की गरिमा एवं स्वाभिमान को पहचानते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। किसी भी सरकार, समूह या व्यक्ति को ऐसा कुछ भी करने का अधिकार नहीं है जो दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करता हो। मानवाधिकार आज के समय में और भी प्रासंगिक है क्योंकि समाज में आजकल कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी स्तर पर क्यों ना हो सरकार को मानवाधिकारों की रक्षा हर हाल में करनी ही चाहिए।

जैसा कि हम सभी को विदित है कि शिक्षा जीवन के लगभग सभी पक्षों को प्रभावित करती है जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आदि। यदि समाज में शिक्षा की महत्ता पर और अधिक बल दिया जाए तो समाज एक श्रेष्ठ समाज का उदाहरण बन सकता है और समाज से सभी प्रकार की बुराइयों का लोप हो सकता है। वर्तमान समाज की एक महत्वपूर्ण बुराई जो कि आज सर्वाधिक चर्चा का केंद्र बिंदु है, वह है घरेलू हिंसा।

शब्द संक्षेप– घरेलू हिंसा, महिला मानवाधिकार, मानवीय गरिमा एवं शिक्षा।

Introduction

आज लगातार परिवारों के विघटन का कारण घरेलू हिंसा को माना जाने लगा है। पारिवारिक संबंधों की मजबूत कड़ियाँ आज कमजोर होती जा रही हैं। प्रेम का स्थान द्वेष ने ले लिया है। परिवार जैसे ऊपर से देखने में प्रतीत होते हैं वास्तव में वैसे हैं नहीं। कहीं न कहीं परिवारों के रिश्तों में एक खालीपन खटकता है। कोई भी व्यक्ति हर घर की स्थिति को दूर से ही भाँप लेता है कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं अपने हक के लिए लगातार प्रयास भी करती हैं, लेकिन उनके प्रयासों को कई कारणों से सफलता नहीं मिल पाती,जिससे उनका मानसिक और शारीरिक शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। आज भी हमारा समाज शिक्षित होने के बावजूद परंपरागत ढांचे का गुलाम बना बैठा है।वह अपनी प्रगतिवादी सोच को कई कारणों से या जानबूझकर टाल जाता है। घरेलू हिंसा के विविध पक्ष हैं जैसे शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना, भावनात्मक या यौन शोषण आदि। इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करना इस शोध पत्र का विषय है साथ ही शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षा किस हद तक इस प्रकार की

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

समस्याओं से जूझने में मदद करती है? शिक्षा के द्वारा महिलाएं किस हद तक मानव अधिकारों या महिला अधिकारों को जान पाती हैं? और किस स्तर तक अपने अधिकारों का प्रयोग हिंसा के प्रतिउत्तर के रूप में कर पाती हैं? शोध पत्र में इन्हीं बिंदुओं का विश्लेषण किया गया है।

जरूरी है महिलाओं को
शिक्षा की ओर अग्रसर करना
उनके स्वयं के अधिकारों के ज्ञान के लिए।

जरूरी है महिलाओं की
स्वतंत्रता और उनका सम्मान
समाज में एक नई पहचान के लिए।

जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि 'शिक्षा अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है' अर्थात शिक्षा व्यक्ति के अंदर जो भी गुण हैं उनका परिष्करण करके उन गुणों को बाहर लाती है। शिक्षा से मानव अच्छे बुरे की पहचान कर पता है। शिक्षा से व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है। शिक्षा जीवन में अनुकूलन सिखाती है कि कैसे विकट परिस्थितियों का सामना किया जाए। शिक्षित व्यक्ति से तात्पर्य केवल किताबी ज्ञान ग्रहण करना नहीं अपितु जो व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से अपने मूल्यों को पहचान पाता है, अच्छे बुरे में अंतर कर पता है, अपनी गरिमा और स्वाभिमान के लिए किसी भी लोभ में नहीं पड़ता, सही मायने में वही व्यक्ति शिक्षित है। जो व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित होता है वह अपने अधिकारों के प्रति भी उतना ही जागरूक रहता है और किसी भी कीमत पर अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं करता। सामाजिक सुरक्षा, जीवन मूल्य और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए संविधान में मानव अधिकारों का उल्लेख मिलता है। मानवाधिकार हर व्यक्ति के नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार हैं। इनके दायरे में आजादी, बराबरी और सम्मान के अधिकार आते हैं। मानवाधिकार अंधविश्वास और कट्टरता से मुक्ति प्रदान करते हैं। मानवाधिकार सदैव मानव के कल्याण की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी स्थापना के अवसर पर मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को अपने प्रमुख उद्देश्यों में रखा। आज यह माना जाता है कि निरंकुश राज्यों पर मानवाधिकारों से ही अंकुश लगाया जा सकता है। मानवाधिकार हमारे दैनिक जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करते हैं।

आजकल देखा जाए तो पता चलता है कि मानवाधिकारों का प्रयोग भली–भांति अपने वास्तविक रूप में नहीं हो पा रहा है या फिर यूँ कहें कि व्यक्ति एवं समाज मानवाधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। आजकल देखा जा रहा है कि समाज में घरेलू हिंसा की प्रवृत्ति दिनों– दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है इसके मूल में जाने की आवश्यकता है। आज घरेलू हिंसा के स्वरूप को समझना अत्यंत आवश्यक है घर परिवार के अंदर होने वाली हिंसा के कई रूप हो सकते हैं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक और यौन शोषण आदि घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। घरेलू हिंसा परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकती है चाहे वह महिला, पुरुष, वृद्ध या फिर बच्चे हों। आजकल घरेलू हिंसा के कई रूप सामने आ रहे हैं लेकिन यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो घरेलू हिंसा का स्वरूप महिलाओं के मामले में कुछ अलग ही है जिस पर काफी संवेदनशीलता से

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

विचार करना आवश्यक है क्योंकि यहां हम घरेलू हिंसा और महिला मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं तो इसे महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में देखना समीचीन होगा। महिलाएं केवल घर पर ही नहीं बल्कि घर के बाहर भी अर्थात अपने कार्य स्थल और अन्य जगहों पर भी हिंसा की शिकार होती हैं महिलाओं को गलत तरीके से देखना, उनके बारे में गलत शब्दों का प्रयोग, उन्हें हर कार्य में नीचा दिखाने की प्रवृत्ति.उनके कार्य को महत्व न देना, यौन व्यवहार आदि कई रूपों में महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। इसी प्रकार घर के अंदर भी महिलाओं के साथ हिंसा के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं जैसे बच्चों या अन्य परिवार के सदस्यों के समक्ष बार–बार अपमान, किसी भी गलती के लिए सिर्फ महिला को ही जिम्मेदार ठहरना, तलाक की धमकी देना, उसे अपशब्द कहना, उसकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना, महिलाओं को उनके माता–पिता एवं अन्य संबंधियों से मिलने पर प्रतिबंध लगाना, उन्हें अभिव्यक्ति का अधिकार न देना, विवाहेत्तर संबंधों का संदेह करना, महिलाओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि की आए दिन आलोचना करना, उन्हें कम बुद्धि का बताना, उनके साथ शारीरिक बल प्रयोग आदि। इसके साथ ही उनके साथ कई प्रकार का भावनात्मक दुर्व्यवहार भी देखने को मिलता है। उनके साथ आर्थिक दुर्व्यवहार जैसे उन्हें नौकरी या रोजगार करने से रोकना, वर्तमान नौकरी को छोड़ने का दबाव बनाना, उनके वेतन पर अपना अधिकार जताना आदि आज भी देखने को मिलता है। विभिन्न शोध पत्रों के अध्ययन से पता चलता है कि ग्रामीण और कम पढ़ी–लिखी महिलाओं के साथ इस प्रकार की घरेलू हिंसा अधिक होती है एवं शिक्षित समाज की महिलाओं के साथ अपेक्षाकृत कम होती है। लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं सकते कि महिलाओं के साथ आज भी हिंसा के मामले काफी अधिक है और वीभत्स भी।

अभी हाल ही में मणिपुर में 4 मई को आरक्षण के मुद्दे पर कुकी समुदाय की दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाया गया।भीड़ ने उनके साथ अभद्रता एवं यौन उत्पीड़न भी किया। मणिपुर का घाव अभी भरा भी नहीं था कि राजस्थान के प्रतापगढ़ में इसे खरोंच कर फिर ताजा कर दिया गया। एक आदिवासी महिला को पहले तो निर्वस्त्र किया गया उसके बाद नग्न हालत में उसकी गांव में परेड कराई गई। इसी तरह की एक बीभत्स घटना कुछ समय पहले बदायूं जिले में हुई जिसमें दो लड़कियों को बलात्कार के बाद मारकर पेड़ पर लटका दिया गया.इस घटना पर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बन चुकी है। इस प्रकार की घटनाएं समाज में हिंसा का चरमोत्कर्ष हैं, जिनके बारे में सोचकर भी रूह काँप जाती है। भारत में शिक्षा की स्थिति देखी जाए तो यह आज भी इतना विकास होने के बाद भी संतोषजनक नहीं है। ग्रामीण स्तर पर तो स्थिति और भी दयनीय है। महिलाओं को केवल नाम भर की शिक्षा दी जाती है जिससे उसका शादी ब्याह ठीक प्रकार से हो जाए। शिक्षा के मामले में पुरुष आज भी पुरानी परंपराओं का गुलाम है। आज हम लोग चाँद की सैर पर अपने यान तो भेज सकते हैं लेकिन बच्चियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं।अपने लड़कों को वकील,डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनाने के सपने तो देखते हैं,लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो हम प्रगतिवादी से परंपरावादी हो जाते हैं। यह कैसी मानसिकता है? हालांकि वर्तमान का जो भविष्य है वह अच्छा दिखाई पड़ रहा है आज शिक्षित परिवारों की लड़कियां यूपीएससी और अन्य विभागों की बड़ी–बड़ी पोस्ट पर जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रही हैं राजनीति में जा रही हैं और खेलकूद में भी नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन यह सीमित और

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

शिक्षित परिवारों तक ही हो रहा है। इनकी संख्या आज भी काफी कम है, जबकि हमारे देश की आबादी की आधी संख्या महिलाओं की है। समाज प्रगति कर रहा है, लेकिन सोच अभी भी उतनी प्रगतिशील नहीं है। जितनी कि आवश्यकता है। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज और बाल विवाह जैसी प्रथाएं आज भी देखने को मिलती हैं जो कि हमारी परंपरागत सोच का प्रतीक हैं। आज भी कई परिवारों को बालिकाओं को शिक्षित करना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं लगता है। आज भी भारतीय समाज का एक बड़ा तबका यह मानता है कि वित्तीय जिम्मेदारियां और बाहर का कार्य करना पुरुषों का ही कार्य है। लैंगिक भूमिका के संबंध में रूढ़िग्रस्तता ने आमतौर पर महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह और भेदभाव को जन्म दिया है और महिलाओं के लिए अभी भी समाजीकरण के मानदंड अलग–अलग हैं जैसे महिलाओं से मृदुभाषी और चुप रहने की अपेक्षा की जाती है, उनके चलने उठने– बैठने का ढंग पुरुष तय करना चाहता है जबकि पुरुष अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है।

प्राचीन काल में महिलायेंः– प्राचीन संस्कृति में स्त्री को कभी देवी के रूप में पूजा जाता था तो कभी उसे न्यूनतम श्रेणी में रखकर उसकी गरिमा को तार–तार किया जाता था। भारतीय समाज में कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो कभी भी महिलाओं के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। भारत की सबसे प्राचीन सिंधु सभ्यता में महिलाओं को पूजनीय माना जाता था तथा समाज में उसे एक विशेष स्थान प्राप्त था। ऋगुवैदिक काल में पितृसत्तात्मक समाज में भी स्त्रियों की प्रतिष्ठा थी। धार्मिक कार्यों, सामाजिक उत्सवों और समारोह आदि में भी पुरुष के साथ स्त्रियां समान आसन ग्रहण करती थीं। पत्नी के रूप में स्त्रियां घर की साम्राज्ञी होती थीं। कन्याओं को शिक्षा ग्रहण करने का पूरा अधिकार था तथा महिलाएं सभा में भाग लेती थीं, यह सब उस समय की उच्च स्तर की सोच का प्रतीक था। इस काल में घोषा, अपाला जैसी विदुषी महिलाएं भी थीं जो कि उच्च शिक्षित तथा अनेक मन्त्रों की रचयिता थीं। शिक्षा उस कालखंड में भी स्त्रियों की प्रतिष्ठा का मानक थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बदलने लगी।कन्याओं को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया,जिससे उनकी शिक्षा अवरुद्ध हो गई। इस काल में एतरेय ब्राह्मण में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई, हालांकि इस काल में भी कुछ विदुषी महिलाएं हुईं जैसे मैत्रेयी, गार्गी आदि,किन्तु इस प्रकार के उदाहरण कम ही हैं मध्यकाल में मुसलमान शासकों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। विदेशी आक्रांताओं से बचने के लिए स्त्रियां जौहर की अग्नि में भस्म होने लगीं। इस काल में अनेकों कुप्रथाओं का जन्म हुआ जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु पत्नी प्रथा, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति न होना, संपत्ति संबंधी अधिकार न होना आदि प्रथाएं प्रचलित थीं। इससे ज्ञात होता है कि नारियों की स्थिति दयनीय थी। जो स्त्रियां इन नियमों का पालन नहीं करती थीं, उनको कठोर दंड भुगतना पड़ता था। इसके बाद के समय में महिलाओं की स्थिति सुधरी तो कभी और दयनीय हो गई। महिलाओं की स्थिति में कई उतार–चढ़ाव देखने को मिलते हैं लेकिन हम सभी इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि आज आजादी के बाद भी महिलाओं को पुरुषों से कमतर आंकने की प्रवृत्ति पोषित हो रही है। महिलाएं आज भी मूंक बनी हुई हैं। पुरुष हो या महिला इनमें से बहुत सारे लोग तो यह भी ठीक से नहीं जानते कि आखिर घरेलू हिंसा है क्या? सामान्य रूप से बुरा–भला

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

कहना, छोटी–छोटी बात पर कोसना, बुरी दृष्टि से देखना या सामान्य गाली गलौज आदि को लोग हिंसा मानते ही नहीं।

हमारे समाज में शुरू से ही स्त्री को यह सिखाया जाता है कि उसे हमेशा धीरे बोलना है, पराये घर जाना है, संभल कर रहना सीखो। ज्यादा किसी के सामने बोलना हंसना नहीं है यह बातें बालिकाओं के अवचेतन में भर जाती हैं हालांकि आज काफी कुछ बदल गया है, लेकिन पुरातनपंथियों की अवधारणाएं आज भी साथ चल रही हैं। आज भी पुरानी प्रथाओं का अस्तित्व बना हुआ है। घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण पुरुषों की निम्नस्तरीय सोच है जिसके मूल में अशिक्षा एक प्रमुख तत्व है। आज कुछ स्त्रियों ने तो पुरुष अत्याचार को अपनी नियति ही मान लिया है और वह उसका विरोध नहीं करतीं। स्त्रियों के लिए यह स्थिति कदापि ठीक नहीं है। महिलायें मुखर होकर अपनी बात कहने में आज भी अपने आपको असहज महसूस करती हैं।शिक्षा के साथ जागरूकता को भी प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए अन्यथा यह जुल्म सदैव होते रहेंगे।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 :– भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम से पहले विवाहित महिला के पास परिवार द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (क) के तहत शिकायत करने का प्रावधान था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में संशोधन के बाद धारा 498 (क) को जोड़ा गया, यह एक गैर जमानती धारा है

भारत में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार एवं घरेलू हिंसा से संबंधित कई कानून पहले से भी थे, बाद में भी समय को देखते हुए और भी प्रभावी कानून बने जिनकी सहायता से पीड़िता अपनी सुरक्षा कर सकती है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है और उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को पारित हुआ, इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत महिलाओं के संरक्षण की बात कही गई है। जैसे–

धारा 4– पीड़िता घरेलू हिंसा की जानकारी संरक्षण अधिकारी को दे सकती है इसके तहत सीधे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से भी संपर्क किया जा सकता है।

धारा 10 – सेवा प्रदाता जो नियमतः निबंधित हो वह भी मजिस्ट्रेट या संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की सूचना दे सकता है। पीड़िता घरेलू हिंसा के बारे में मुआवजा या नुकसान के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकती है,इसमें तीन दिन में सुनवाई एवं 60 दिन में निष्पादन होगा।

धारा 14– मजिस्ट्रेट पीड़िता को सेवा प्रदाता से परामर्श लेने का निर्देश दे सकेगा।

धारा 16 – पक्षकार की इच्छा अनुसार कार्यवाही बंद कमरे में हो सकेगी।

धारा 17 व 18– पीड़िता को साझी ग्रहस्ती में निवास करने का अधिकार होगा।उसके पक्ष में संरक्षण आदेश पारित किया जा सकेगा।

धारा 19 – पीड़िता को और संतान को संरक्षण मिल सकेगा।किसी तरह के भुगतान के संबंध में आदेश हो सकेगा एवं संपत्ति पर कब्जा वापस करने का आदेश दिया जा सकेगा।

धारा 20 एवं 22– पीड़िता को खर्च की क्षतिपूर्ति एवं भरण पोषण का आदेश दिया जा सकेगा।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

इसी प्रकार अन्य धाराओं में भी महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जा सकेगी। घरेलू हिंसा 2005 के अधिनियम में कई ऐसे प्रावधान है जिनमें कार्रवाई को तुरंत अमल में लाया जाता है यह कानून अत्यधिक विस्तृत और प्रभावी है। आजकल की अशिक्षित महिलाएं तो इस कानून के बारे में परिचित ही नहीं है तो कैसे वह न्याय की मांग कर सकती हैं? उनमें जागरूकता की भी कमी है कोई पुरुष महिलाओं को इन कानूनों के बारे में इस डर से जागरूक नहीं करना चाहता कि कहीं कल मेरे साथ भी कोई ऐसी ही दुर्घटना ना हो जाए।जो महिलाएं शिक्षित हैं वह इस कानून से परिचित तो हैं लेकिन जागरूकता की कमी उनमें भी है। वह भी किसी विवाद में पड़ने से कतराती हैं और न्याय के लिए मुखर होकर आगे नहीं आतीं। आजकल कुछ महिला संगठन हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और कुछ महिलाओं को न्याय मिल भी रहा है लेकिन यह स्थिति नाकाफी है।जब तक शिक्षा के साथ जागरूकता नहीं होगी यह कानून कभी भी धरातल पर खरे नहीं उतर सकते,इसके लिए महिला और पुरुष दोनों को जागरूक होना ही होगा।

शिक्षा एक समाधानः– आज घरेलू हिंसा सहित बढ़ते अन्य महिला अपराध चिंता का विषय हैं। इसको लेकर अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति महिलाएं जागृत हों, इसके लिए सबसे आवश्यक है उनका शिक्षित होना। इसके लिए माता–पिता के साथ घर के अन्य सदस्यों को भी जागरूक होना होगा, उन्हें यह समझना होगा कि वह शिक्षा ही है जो अंधकार को प्रकाश में बदलती है, महज पुलिस की भूमिका समाज को सुरक्षित नहीं बना सकती। हमें लैंगिक रूप से भी संवेदनशील, सामाजिक और कानूनी न्याय व्यवस्था की जरूरत है। आज की बेटियां शिक्षित हों ताकि वह समाज में अपने अधिकारों को जान सकें। यदि महिला शिक्षित होती है तो वह आर्थिक व पारिवारिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होती है।जिस देश की शिक्षा व्यवस्था उन्नत होती है वह देश हर हाल में उन्नति करता है। हाल ही में अमर उजाला द्वारा एक अभियान चलाया गया 'अपराजिता 100 मिलियन स्माइल्स' जिसमें यही बातें सामने आयीं। आज की पीढ़ी यदि शिक्षा से वंचित रही तो इसके जिम्मेदार उसके माता–पिता व परिवारीजन होंगे। कारण चाहे जो भी हो, आज महिला अपराध व घरेलू हिंसा अशिक्षित समाज व अवसाद ग्रस्त समाज की मानसिकता का परिणाम हैं। महिलाएं चुपचाप रहकर इसे बढ़ावा देती हैं। हमें शिक्षा को अपना हथियार बनाना चाहिए महिलाओं को शिक्षा से दूर रखना अपराध है महिलाओं के शिक्षित होने से समाज और देश का विकास भी तेजी से होगा। शिक्षित महिला ही परिवार तथा देश का विकास कर सकती है। महिलाओं को गलत रीति –रिवाज के बंधनों को तोड़कर अपने अधिकारों को जानना होगा व महिला अपराध के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। हम सभी को महिलाओं का हौसला बढ़ाना चाहिए जिससे आज समाज नारियों का शोषण न कर सके। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद जिस तरह देश ने महिला अपराध के विरुद्ध आवाज उठाई वह बदलते समाज का परिचय है। सरकार द्वारा चलाया गया बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान इस समस्या के समाधान में कारगर होगा। महिला साक्षरता की कमी देश को कमजोर बनाती है बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो संस्कृत के विद्वान थे उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया वहां पर स्कूल खुलवाए और बालिकाओं को बालकों के बराबर शिक्षा देने की बात की। वे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मेहनती एवं मेधावी छात्रों को पुरस्कृत भी किया करते थे। उन्होंने कोलकाता में सबसे पहले एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली चंद्रमुखी

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

बोस को पुरस्कार दिया। उन्होंने महिला शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए कॉलेजों की स्थापना की वकालत की। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्र और सार्थक जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए साक्षरता और ज्ञान के महत्व पर जोर दिया। महिला शिक्षा को बढ़ावा,विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह का विरोध, महिलाओं के अधिकारों में सुधार आदि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही विभिन्न महापुरूषों ने महिला सशक्तिकरण के अनगिनत प्रयास किये। इस तरह हम कह सकते हैं कि समाज परिवार,विद्यालय में विभिन्न स्तरों पर स्त्री शिक्षा के पर्याप्त प्रयास करने चाहिए। आजकल माता–पिता को बेहद जागरूक रहने की आवश्यकता है ताकि उनके बच्चे भविष्य में शिक्षा के माध्यम से किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हो सकें। इसी प्रकार समाज और राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह समाज में बराबरी महिला शिक्षा एवं उनके सम्मान के लिए महती भूमिका अदा करें जिससे समाज में व्याप्त विद्रूपताओं का अंत हो सके।

घर परिवार एवं विद्यालय के अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा भी प्रयास किया जा रहे हैं, जिसके तहत सरकार ने महिलाओं के लिए कई मिशन एवं योजनाएं बनाई हैं और उनका क्रियान्वयन भी सफलतापूर्वक हो रहा है जो कि निम्न है –

मिशन शक्ति योजना– यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है। इसका फोकस महिलाओं को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक करने का है एवं उन लोगों को सजा दिलाने पर है जिन्होंने महिलाओं के साथ कोई दुर्व्यवहार या अपराध किया है। यू.पी. में इसकी शुरुआत 2021 में हुई।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ– इसके अंतर्गत बेटियों को शोषण से बचाना और उनको उच्च शिक्षा प्रदान करना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।

महिला हेल्पलाइन योजना– 112 व 1091 हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत पुलिस सहायता मिलने का प्रावधान है।

उज्ज्वला योजना – इसकी शुरुआत 2016 में भारत सरकार द्वारा की गई।इसके अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा, ताकि वह भी अच्छा जीवन जी सकें।

पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण– इसके तहत महिलाएं भी समाज में अपना योगदान दे पाएंगी।

कौशल विकास योजना– महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कुशल बनाना।

सुकन्या समृद्धि योजना– इस योजना की शुरुआत 2015 में हुई। बेटियों के भविष्य और शादी के लिए धन इकट्ठा करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

भारत सरकार एवं राज्यों द्वारा इस प्रकार की अनेक योजनाएं संचालित हैं जिनके माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सकता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महिलाएं सरकार की इन योजनाओं पर जागरूकता के साथ ध्यान दें तो वह स्वाबलंबी बन सकती हैं और अनावश्यक शोषण से बच सकती हैं। यदि महिलाएं शिक्षा के प्रति भी यही दृष्टिकोण अपनाती हैं तो वह आसानी से अपने अधिकारों को जान सकती हैं और शोषण एवं घरेलू हिंसा के प्रति अपनी आवाज बुलंद कर सकती हैं। यदि महिला शिक्षित

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 6, Special Issue 02, September 2023

होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो सकता है। शिक्षा समाज को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। यदि समाज के लोग शिक्षित होंगे तो एक यशस्वी समाज का निर्माण होगा और कोई किसी का शोषण नहीं कर सकेगा।यदि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं तो वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं और विभिन्न धाराओं का उपयोग कर अपराधी को सजा दिलवा सकती हैं और अपने लिए न्याय मांगने के साथ अपना भरण पोषण स्वाभिमान के साथ कर सकती हैं।

महिला हिंसा एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। महिला हिंसा के प्रति हम सभी को एवं परिवार में सभी को बेहद जागरूक होना होगा।यदि घर परिवार के सभी सदस्यों को अपने अधिकारों के बारे में बताया जाए एवं शिक्षा के माध्यम से जागरुक किया जाए तो स्थितियां बदल जाएंगी।घर में माता–पिता दादा–दादी,नाना–नानी अर्थात घर के बड़े बुजुर्गों को महिला हिंसा और मानवाधिकार के प्रति विशेष रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है क्योंकि पुराने लोग पुरानी परंपराओं एवं रीति–रिवाजों को अधिक महत्व देते हैं। बेटी को पराया धन समझते हैं और यह भी कहते सुना गया है कि बेटी जब एक बार ससुराल चली जाती है तो उस पर पूर्ण रूप से ससुराल वालों का हक हो जाता है। इस प्रकार की बातें महिला सशक्तिकरण को हतोत्साहित करती हैं और महिलाओं पर हिंसा का कारण भी बनती हैं यदि घर परिवार के सदस्य शुरू से ही बालिकाओं को सशक्त बनाने का प्रयास करें, उन्हें अच्छी शिक्षा दें,उनकी सोच को प्रगतिशील बनाएं एवं उनके अधिकारों के प्रति उन्हें सचेत करें तो निश्चित रूप से आज महिलाओं की जो स्थिति है वह नहीं होगी। महिलाएं सम्मान एवं बराबरी के साथ समाज में रह सकेंगीं। कोई भी उन्हें हीन समझने की गलती नहीं करेगा।जब सभी लोग अपने–अपने बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे,उन्हें अच्छी बातें सिखाएंगे,उन्हें महिला एवं पुरुष की बराबरी एवं सम्मान का पाठ पढ़ाएंगे तो सारे समाज में स्वयं परिवर्तन हो जाएगा और महिला हिंसा या घरेलू हिंसा जैसी बातें समाज में नजर नहीं आएंगीं। इस प्रकार समाज में सुशासन स्थापित होगा और सभी लोगों में एक –दूसरे के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना का संचार होगा।

सन्दर्भ सूची :–

1. अंसारी, एम0ए0 (2003) महिला एवं मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर।
2. अहूजा, राम (2008) सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
3. श्रीवास्तव, सुधारानी (2009) महिला उत्पीड़न और वैधानिक उपचार, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, अंसारी रोड दरियागंज, नई दिल्ली।
4. अग्रवाल, जे0सी0 (2009) भारत में नारी शिक्षा, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. जैन, उर्मिला (2012) मानव अधिकार और हम, परमेश्वरी प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. महरोत्रा, ममता (2017) महिला अधिकार और मानव अधिकार, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
7. जोशी, मालती (2018) पिया पीर न जानी, परमेश्वरी प्रकाशन, नई दिल्ली।
8. राम, एम0के0 (2011) महिला सशक्तिकरण, कॉमनवैल्थ पब्लिशर्स, अंसारी रोड, नई दिल्ली।